(85)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

विविध-9232-I/16

प्र0 क0 विविध —एक/16

1—कमला तनय मौना जाटव

2—धनुआ तनय मौना जाटव

निवासी ग्राम कसार तहसील

बिजावर जिला छतरपुर म0प्र0

———आवेदकगंण

[redacted]दीप शर्मा
2/11/2016

विरूद्ध
मध्यप्रदेश शासन

दिनांक 2-11-16 को श्री प्रदीप शर्मा द्वारा प्रस्तुत

———अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32, म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश में संशोधन करने के संबंध में।

9-11-16

419 श्रीमान महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है कि :—

1— यह कि, आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण कमांक निगरानी 2777—तीन/13 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2013 द्वारा आवेदक ने द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 33/अ—21/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 30.04.2013 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें आवेदक द्वारा आराजी ग्राम कसार तहसील बिजावर स्थित भूमि खसरा कमांक 609/15, 609/16 एवं 609/17 कुल रकवा 1.467 हैक्टेयर कमशः 1.963 एवं 0.037 हैक्टेयर का पट्टा

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9232–एक / 16 जिला –छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8.11.16	आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश में संशोधन करने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। 2–यह विविध प्रकरण कमांक 9232–एक / 16 पक्षकार कमला तनय मौना जाटव आदि निवासी कसार तहसील ~~जिला~~ बिजावर जिला छतरपुर विरूद्व मध्यप्रदेश शासन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2777–तीन / 13 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2013 में संशोधन किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। 3– आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निगरानी 2777–तीन / 13 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2013 में विकय की अनुमति प्रदाय की है, लेकिन आदेश में कुछ ऐसी शर्ते लागू कर दी हैं जिसके कारण आवेदक उनको पूर्ण करने में असमर्थ है, जिसके कारण वह अपनी भूमि विकय नहीं कर पा रहा है तथा उसका प्रतिफल न मिलने के कारण बहुत परेशानी का समना करना पड़ रहा है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि आदेश में शर्त कमांक–2 एवं 3 विलोपित करने की कृपा की जावे। 4–आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया, एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया, उनके द्वारा खसरा की सत्यप्रतिलिपि संलग्न की है। अतः आवेदक के अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा	

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण कमांक निगरानी 2777—तीन / 13 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2013 में आंशिक रूप से संशोधन करते हुये आदेश के अंतिम पैरा में शर्त कमांक 2 एवं 3 विलोपित करने के आदेश दिये जाते हैं एवं इस आदेश के 4 माह की समयावधि (बढ़ाई जाती है) में निष्पादन कराना अनिवार्य होगा। पूर्व आदेश यथावत रहेगा।

सदस्य